रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. DL—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 28, 2013/फाल्गुन 9, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 283
No. 37] DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 2013/PHALGUNA 9, 1934 [N.C.T.D. No. 283

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 फरवरी, 2013

सं. 3/13/वित्त (राज-1)/2012-13/डीएस VI/180.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का अभिमत है कि जनसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है ।

अतः अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3 तत्पश्चात इसे अधिनियम से उल्लेखित किया जाएगा) की धारा 16 की उपधारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों/संविदाकारों की श्रेणी (श्रेणियों) के सामने इसके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट अन्य साधारण तथा विशेष शर्तें के अनुपालन के अधीन तथा दिनांक 17.3.2006 की अधिसूचना सं0 फा0 3/78/वित्त/टी एण्ड ई/2005–2006/1508–ख के अधिक्रमण में इसके द्वारा धनराशि के लिये या विलम्बित भुगतान के लिये या दिल्ली में मूल्यवान प्रतिफल के लिये विशेष रूप से निर्माण संविदा में कार्यरत प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी के लिये निम्नलिखित समझौता योजना की व्यवस्था करते हैं, अर्थात् :–

"तालिका"

श्रेणी	निर्माण कार्य संविदा की प्रकृति	समझौता कर दर (दिल्ली में निर्माण कार्य संविदाओं से संबंधित सारी कुल बिक्री का प्रतिशत)	
		योजना (क)	योजना (ख)
1	2	3	4
1	निम्नलिखित श्रेणियों अथवा इससे संबंधित या इसकी प्रासंगिक या सहायक गतिविधियों की निर्माण कार्य संविदाएं के निष्पादन में कार्यरत प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी	3	6

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 28 फरवरी, 2013

सं. फा. 7/433/नीति-II/वैट/2012/1297-1307.—अधिसूचना संख्या सं. फा. 7/433/नीति-II/वैट/2012/1170-1181 दिनांक 2013 की निरंतरता में, मैं, प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर म, 2004 की धारा 70 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त ना, जोकि फार्म टी-2 में दी जाने वाली सूचना से संबंधित थी, की लागू होने की प्रभावी तिथि निम्न प्रकार से निर्धारित करता हूँ।

व्यापारी वर्ग	प्रभावी तिथि
वस्तुओं का व्यापार करने वाले एवं शत-प्रतिशत निर्यात करने वाले व्यापारियों के अतिरिक्त, पारियों की सकल बिक्री रुपये 10 करोड़ के समकक्ष या उससे अधिक है।	01-04-2013
भी व्यापारी	बाद में अधिसूचित की जाएगी।

प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(POLICY BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 28th February, 2013

No. F. 7(433)/Policy-II/VAT/2012/1297-1307.—In continuation of Notification No. No. F. 7(433)/Policy-II/VAT/ 1170-1181 dated 31-1-2013. I, Prashant Goyal, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital ory of Delhi, in exercise of the powers conferred on me by sub-section (1) read with sub-section (3) of Section 70 of Value Added Tax Act, 2004, hereby direct that the said Notification regarding submission of information in Form T-2, come into force as per the following schedule :

Class of Dealers	Effective date
rs having GTO ≥ Rs. 10 Crores, except the dealers exclusively dealing in Tax Free s or who are 100% exporters.	01-04-2013
her dealers	To be notified later on.

PRASHANT GOYAL, Commissioner, Value Added Tax

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 फरवरी, 2013

सं. एफ. 30/एसी/बीपीबी/एसीटी/एडी-5/डीएसडब्ल्यू/2001-02/23332.—बम्बई भिक्षावृत्ति निरोधक धेनियम 1959 (मुम्बई अधिनियम 1960 का 10) जो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली में विस्तारित है, की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल एदत द्वारा कथित धेनियम के अंतर्गत स्थापित सभी संस्थाओं के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया जाता है, जिसमें म्नलिखित सदस्य होंगे –

336 DG/13-7

1.	सचिव, समाज कल्याण विभाग राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	निदेशक, समाज कल्याण विभाग राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली	सदस्य
3.	अतिरिक्त आयुक्त (अपराध), दिल्ली पुलिस	सदस्य
4.	अतिरिक्त आयुक्त, दिल्ली नगर निगम	सदस्य
5.	सचिव, नई दिल्ली नगर निगम	सदस्य
6.	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं	सदस्य
7.	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान का प्रतिनिधि, आर0के0 पुरम, नई दिल्ली	सदस्य
8.	निदेशक, श्रमिक विद्यापीठ	सदस्य
9.	निदेशक, राष्ट्रीय उद्यमी एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान	सदस्य
10.	संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली	सदस्य
11.	निदेशक (बाल कल्याण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
12.	निदेशक, आईएचबीएएस, दिलशाद गार्डन, दिल्ली	सदस्य

गैर सरकारी सदस्य

1	डा0 आमोद कुमार, सेंट स्टीफन अस्पताल, दिल्ली	सदस्य
2	डा0 उषा रमानाथन, एडवोकेट	सदस्य
3	मोहम्मद तारिक, प्रोजेक्ट हेड, कोशिश, टिस (TISS)	सदस्य
4	श्री अखिलेश्वर सहाय, प्रबन्धन सलाहाकार	सदस्य
5	रीता पनिकर, निदेशक, बटरफ्लाई,	सदस्य
6	डा0 राजेश कुमार, कार्यकारी निदेशक, एस पी वाई एम	सदस्य

स्लाहाकार समिति के कार्य एवं कर्त्तव्य मुम्बई भिक्षावृत्ति निरोधक अधिनियम 1959 की धारा 15(2)(3) तथा इनके अंतर्गत जारी किए गए दिशा निर्देश/ अनुदेश के अनुसार होंगे।

कथित समिति इस अधिसूचना के जारी होने से तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी।

यह अधिसूचना पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या फा. सं. 30/एसी/बीपीबी/एसीटी/एडी-5/डीएसडब्ल्यू/2001-02/3497-514 दिनांक 2-6-2009 के स्थान पर लागू की जाती है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

अचला सिंह, निदेशक

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 28th February, 2013

No. F. 30/AC/BPB Act/AD-V/DSW/2001-02/23332.—In exercise of the powers conferred under Section 15 of the Bombay Prevention of Begging Act 1959 (Bombay Act X of 1960) as extended to the Government of the National Capital Territory of Delhi, an Advisory Committee, is hereby constituted for all institutions established under the aforesaid act consisting of the following members namely :—

Official Members:

1.	Secretary, Social Welfare	- Chairman
2.	Director, Social Welfare	- Member
3.	Additional Commissioner (Crime), Delhi Police	- Member
4.	Additional Commissioner, MCD	- Member
5	Secretary, NDMC	- Member
6	Director (Health Services)	- Member
7.	Representative of National Institute of Social Defence	- Member
8.	Director, Sharmik Vidhay Peeth	- Member
9.	Director, National Institute for Entrepreneurship & Small Development, Ministry of Industries	- Member
10.	Jt. Director, Social Welfare	- Member
11.	Director Child Welfare (Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi.	- Member
12.	Director, IHBAS, Dilshad Garden, New Delhi	- Member

Non-official Members:

1.	Dr. Amod Kumar, Head of Department of Community Health at St. Stephens' Hospital.	- Member
2.	Dr. Usha Ramananathan, Advocate	- Member
3.	Sh. Mohd. Tarique, Project Head- Koshish (A project of TISS)	- Member
4.	Sh. Akhileshwar Sahai (Ex-IRS), Management Consultant, Change Agent and Life coach.	- Member
5.	Ms. Rita Panicker, Founder Director, Butterflies.	- Member
6.	Dr. Rajesh Kumar, Executive Director, SPYM, NGO.	- Member

The functions and duties of the 'Advisory Committee' shall be performed in accordance with the provisions Sections 15(2) and (3) of the Bombay Prevention of Begging Act, 1959 and guidelines/instructions issued there under.

The said committee shall function for a period of three years with effect from the date of issue of this notification.

This Notification supersedes earlier Notification No. F-30/Advisory Committee/BPB Act/AD-V/DSW/2001-02/3497-514 dated 2.6.2009.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
ACHLA SINGH, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.